कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा–माध्य / संस्था / बी–1,2 / वेतन व्यवस्था / 2020 दिनांक 10.11.2020

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समस्त।

विषयः–प्रधानाचार्य–उमावि एवं प्रधानाध्यापक–मावि के वेतन आहरण की स्वीकृति बाबत ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रधानाचार्य–उमावि एवं प्रधानाध्यापक–मावि द्वारा वेतन आहरण संबंधित प्रकरण यथा एपीओ अवधि / विद्यालय क्रमोन्नत होने पर / महात्मा गांधी विद्यालयों में पद स्वीकृत न होने की स्थिति में वेतन आहरण स्वीकृति बाबत प्रार्थना पत्र बिना यथोचित टिप्पणी के सीधे ही निदेशालय को प्रेषित किये जा रहे है।

प्रधानाचार्य–उमावि एवं प्रधानाध्यापक–मावि के वेतन आहरण संबंधित प्रकरणों के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों का निम्नानुसार बिन्दुवार परीक्षण करते हुए आपकी स्पष्ट अभिशंषा सहित भिजवाना सुनिश्चित करावे।

1. जिस अवधि के वेतन आहरण की स्वीकृति चाही जा रही है, के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी अंकित करावें।
2. वेतन आहरण हेतु ऐसे विद्यालय का चयन करें जिसमें वांच्छित पद उल्लिखित अवधि में स्पष्ट रिक्त रहा हो।
3. वेतन आहरण स्वीकृति संबंधित प्रकरणों का आपके स्तर पर परीक्षण करते हुए वेतन बकाया रहने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करावे।
4. प्रकरण के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि उल्लेखित अवधि के अवकाश की स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी हो चुकी हैं ।

वेतन आहरण स्वीकृति संबंधित प्रकरण विभागीय मेल आई.डी absecsecedu@gmail.com पर /सामान्य डाक से भिजवाना सुनिश्चित करावे।

(श्याम सुन्दर सोलंकी)
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा।
4. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)